चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
पल पल न्यूज	11.01.2022		

एचएयू में बिना कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के कर्मचारियों सहित सभी की एंट्री बैन

पल पल न्यूजः हिसार, 10 जनवरी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कुलपति प्रोफेसर बीआर काम्बोज के दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों व आगंतुकों की बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाए इंट्री बैन कर दी गई है। सभी हिदायतों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में व सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हिदायतों का भी पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई जाती तब तक विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के परिजनों को कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी प्रकार सभी कार्यालयों में मास्क व केंद्र व राज्य सरकार की अन्य हिदायतों की सख्ती से पालना करवाने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय के सभी गेटों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्वर्ण जयंती द्वार यानि गेट नंबर चार व गेट नंबर दो को प्रातः 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक खोला जाएगा। दोपहर को एक बजे से सवा एक बजे तक व दो बजे से सवा दो बजे तक लंच के समय इन गेटों को खोला जाएगा। इसी प्रकार सांयकाल 5 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक उक्त गेट खोले जाएंगे। बाकी समय में केवल गेट नंबर एक को खोला जाएगा और वैक्सीन के सर्टिफीकेट देखकर व सभी हिदायतों को ध्यान में रखकर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
सच कहूं समाचार	10.01.2022		

एचएयू में बिना कोरोना वैक्सीन व सर्टिफिकेट एंट्री बैन

■ विश्वविद्यालय में लगातार जारी हैं वैक्सीनेशन कैंप

हिसार (सच कहूँ न्यूज)। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कुलपति प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज के दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों व आगंतुकों की बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाए एंट्री बैन कर दी गई है। सभी हिदायतों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में व सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा हिदायतों का भी पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई जाती तब तक विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के परिजनों को कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी प्रकार सभी कार्यालयों में मास्क व केंद्र व राज्य सरकार की अन्य हिदायतों की सख्ती से पालना करवाने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय के सभी गेटों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्वर्ण जयंती द्वार यानि गेट नंबर चार व गेट नंबर दो को प्रातः 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक खोला जाएगा। दोपहर को एक बजे से सवा एक बजे तक व दो बजे से सवा दो बजे तक लंच के समय इन गेटों को खोला जाएगा। इसी प्रकार सांयकाल 5 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक उक्त गेट खोले जाएंगे। बाकी समय में केवल गेट नंबर एक को खोला जाएगा और वैक्सीन के सर्टिफीकेट देखकर व सभी हिदायतों को ध्यान में रखकर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
पाठक पक्ष समाचार	10.01.2022		

एचएयू में बिना कोरोना वैक्सीन सर्टिफीकेट के कर्मचारियों सहित सभी की इंट्री बैन

पाठकपक्ष न्यूज

हिसार, 10 जनवरी : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कुलपति प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज के दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों व आगंतुकों की बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफीकेट दिखाए इंट्री बैन कर दी गई है। सभी हिदायतों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में व सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हिदायतों का भी पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई जाती तब तक विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के परिजनों को कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी प्रकार सभी कार्यालयों में मास्क व केंद्र व राज्य सरकार की अन्य हिदायतों की सख्ती से पालना करवाने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है।

अब विश्वविद्यालय के गेट भी निर्धारित समय पर ही खुलेंगे

कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय के सभी गेटों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्वर्ण जयंती द्वार यानि गेट नंबर चार व गेट नंबर दो को प्रातः 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक खोला जाएगा। दोपहर को एक बजे से सवा एक बजे तक व दो बजे से सवा दो बजे तक लंच के समय इन गेटों को खोला जाएगा। इसी प्रकार सांयकाल 5 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक उक्त गेट खोले जाएंगे। बाकी समय में केवल गेट नंबर एक को खोला जाएगा और वैक्सीन के सर्टिफीकेट देखकर व सभी हिदायतों को ध्यान में रखकर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कुलसचिव ने बताया कि मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, खेतीबाड़ी संबंधी कार्य सभी हिदायतों का सख्ती से पालन करते हुए जारी रहेंगी। आगामी आदेशों तक रेगूलर कक्षाएं बंद करके केवल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी कार्यालयों व परिसर में सेनेटाइजेशन अभियान भी जारी रहेगा।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
समर घोस समाचार	10.01.2022		

समरघोष, सिरसा

बिना कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के कर्मचारियों की एंट्री बैन

हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कांबोज के दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों व आगंतुकों की बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफीकेट दिखाए एंट्री बैन कर दी गई है। सभी हिदायतों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में व सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हिदायतों का भी पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई जाती तब तक विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के परिजनों को कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी प्रकार सभी कार्यालयों में मास्क व केंद्र व राज्य सरकार की अन्य हिदायतों की सख्ती से पालना करवाने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है। हकृवि प्रशासन की ओर से कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय के सभी गेटों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्वर्ण जयंती द्वार यानि गेट नंबर चार व गेट नंबर दो को प्रातः 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक खोला जाएगा। दोपहर को एक बजे से सवा एक बजे तक व दो बजे से सवा दो बजे तक लंच के समय इन गेटों को खोला जाएगा। इसी प्रकार शाम 5 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक उक्त गेट खोले जाएंगे।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
पांच बजे समाचार	10.01.2022		

कोरोना वैक्सीन सर्टिफीकेट बिना एचएयू में एंट्री बैन

पांच बजे न्यूज

हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कुलपति प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज के दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों व आगंतुकों की बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफीकेट दिखाए एंट्री बैन कर दी गई है। सभी हिदायतों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में व सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हिदायतों का भी पालन किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई जाती तब तक विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के परिजनों को कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी प्रकार सभी कार्यालयों में मास्क व केंद्र व राज्य सरकार की अन्य हिदायतों की सख्ती से पालना करवाने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है।

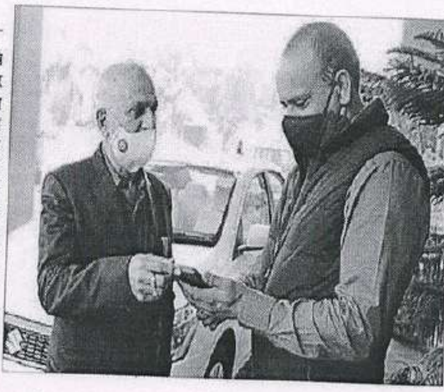

अब विश्वविद्यालय के गेट भी निर्धारित समय पर ही खुलेंगे

कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय के सभी गेटों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्वर्ण जयंती द्वार यानि गेट नंबर चार व गेट नंबर दो को प्रातः 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक खोला जाएगा। दोपहर को एक बजे से सवा एक बजे तक व दो बजे से सवा दो बजे तक लंच के समय इन गेटों को खोला जाएगा। इसी प्रकार सायंकाल 5 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक उक्त गेट खोले जाएंगे। बाकी समय में केवल गेट नंबर एक को खोला जाएगा और वैक्सीन के सर्टिफीकेट देखकर व सभी हिदायतों को ध्यान में रखकर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कुलसचिव ने बताया कि मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, खेतीबाड़ी संबंधी कार्य सभी हिदायतों का सख्ती से पालन करते हुए जारी रहेंगी। आगामी आदेशों तक रेगूलर कक्षाएं बंद करके केवल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी कार्यालयों व परिसर में सेनेटाइजेशन अभियान भी जारी रहेगा।

कोरोना गाइडलाइन्स का सख्ती से प्रयोग करें : प्रो. काम्बोज

हिसार। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज ने कहा है कि कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है। इसे हराने के लिए वे सभी उपाय किए जाने चाहिए जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी को मास्क पहनकर रहना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए तथा नियमित रूप से सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहना चाहिए। कुछ भी खाने से पहले कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथ अवश्य धोएं। प्रो. काम्बोज ने कहा है कि गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार ने अब से पहले भी पहली तथा दूसरी कोरोना लहर में अत्यं सराहनीय कार्य किए हैं। इस दौरान विश्वविद्यालय ने न केवल अपने विद्यार्थियों तथा विश्वविद्यालय परिसर में कोरोना महामारी के बचाव के लिए उपयुक्त कदम उठाए, बल्कि आसपास के गांव तथा क्षेत्रों में भी महामारी की रोकथाम के लिए किए जाने वाले प्रयासों में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा आने वाली चुनौतियों का ताकत से सामना किया है। अब से पहले आने वाली महामारी प्लेग तथा चेचक को भी हराया। प्रो. काम्बोज ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से कहा कि कोरोना महामारी के लिए निर्धारित मापदंडों का कड़ाई से पालन करें। रोस्टर सिस्टम तथा अपने आसपास सुनिश्चित करें कि कोविड से बचने के लिए निर्धारित मापदंडों का पालन हो रहा है

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
नभ छोर	10.01.2022		

सभी गेटों के खुलने और बंद होने का समय भी किया गया निर्धारित

हकृवि परिसर में बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के अब एंट्री नहीं

हिसार/ 10 जनवरी/ रिपोर्टर

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सभी कर्मचारियों व आगंतुकों की बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाए एंट्री बैन कर दी गई है। विश्वविद्यालय परिसर में व सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी गई हिदायतों का भी पालन किया जा रहा है। कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई जाती तब तक विवि परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के परिजनों को कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी प्रकार सभी कार्यालयों में मास्क व केंद्र व राज्य सरकार की अन्य हिदायतों की सख्ती से पालन करवाने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय के सभी गेटों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्वर्ण जयंती द्वार यानि गेट नंबर चार व गेट नंबर दो को प्रात: 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक खोला जाएगा। दोपहर को एक बजे से सवा एक बजे तक व दो बजे से सवा दो बजे तक लंच के समय इन गेटों को खोला जाएगा। इसी प्रकार सायंकाल 5 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक उक्त गेट खोले जाएंगे। बाकी समय में केवल गेट नंबर एक को खोला जाएगा और वैक्सीन के सर्टिफिकेट देखकर व सभी हिदायतों को ध्यान में रखकर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कुलसचिव ने बताया कि मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, खेतीबाड़ी संबंधी कार्य सभी हिदायतों का सख्ती से पालन करते हुए जारी रहेंगी। आगामी आदेशों तक रेगूलर कक्षाएं बंद करके केवल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी कार्यालयों व परिसर में सेनेटाइजेशन अभियान भी जारी रहेगा।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
समस्त हरियाणा	10.01.2022		

एचएयू में बिना कोरोना वैक्सीन सर्टिफीकेट के कर्मचारियों सहित सभी की इंट्री बैन

विश्वविद्यालय में लगातार जारी हैं वैक्सीनेशन कैंप

समस्त हरियाणा न्यूज

हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कुलपति प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज के दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों व आगंतुकों की बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफीकेट दिखाए इंट्री बैन कर दी गई है। सभी हिदायतों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में व सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हिदायतों का भी पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई जाती तब तक विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के परिजनों

को कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी प्रकार सभी कार्यालयों में मास्क व केंद्र व राज्य सरकार की अन्य हिदायतों की सख्ती से पालना करवाने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है।

अब विश्वविद्यालय के गेट भी निर्धारित समय पर ही खुलेंगे

कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय द सभी गेटों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया गया है इसके तहत स्वर्ण जयंती द्वार यानि गेट नंबर चार व गेट नंबर दो व प्रातः 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक खोल जाएगा। दोपहर को एक बजे से सवा एक बजे तक व दो बजे सवा दो बजे तक लंच के समय इन गेटों को खोला जाएगा। इस प्रकार सांयकाल 5 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक उक्त गेट खो जाएंगे। बाकी समय में केवल गेट नंबर एक को खोला जाएगा औ वैक्सीन के सर्टिफीकेट देखकर व सभी हिदायतों को ध्यान रखकर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कुलसचिव ने बताया कि मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, खेतीबाड़ी संबंधी कार्य स हिदायतों का सख्ती से पालन करते हुए जारी रहेंगे। आगामी आदेश तक रेगूलर कक्षाएं बंद करके केवल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी कार्यालयों व परिसर सेनेटाइजेशन अभियान भी जारी रहेगा।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
सिटी पल्स न्यूज	10.01.2022		

एचएयू में बिना कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के कर्मचारियों सहित सभी की इंट्री बैन

सिटी पल्स न्यूज, हिसार। राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में सभी कर्मचारियों व आगंतुकों की बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफीकेट दिखाए इंट्री बैन कर दी गई है। सभी हिदायतों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में व सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हिदायतों का भी पालन किया जा रहा है।

कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई जाती तब तक विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के परिजनों को कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी प्रकार सभी कार्यालयों में मास्क व केंद्र व राज्य सरकार की अन्य हिदायतों की सख्ती से पालना करवाने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है।

एचएयू के फ्लैचर भवन में प्रवेश से पूर्व अपना वैक्सीन सर्टिफीकेट दिखाते कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता।

कोरोना महामारी को देखते हुए विश्वविद्यालय के सभी गेटों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्वर्ण जयंती द्वार यानि गेट नंबर चार व गेट नंबर दो को प्रातः 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक खोला जाएगा। दोपहर को एक बजे से सवा एक बजे तक व दो बजे से सवा दो बजे तक लंच के समय इन गेटों को खोला जाएगा। इसी प्रकार सायंकाल 5 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक उक्त गेट खोले जाएंगे। बाकी समय में केवल गेट नंबर एक को खोला जाएगा और वैक्सीन के सर्टिफीकेट देखकर व सभी हिदायतों को ध्यान में रखकर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
पंजाब केसरी	11.01.2022		

एचएयू में बिना कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट कर्मचारियों सहित सभी की एंट्री बैन

- विवि में लगातार जारी वैक्सीनेशन कैंप

हिसार, राज पराशर (पंजाब केसरी) : हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कुलपति प्रोफेसर बीआर कम्बोज के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों व आगंतुकों की बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाए इंट्री बैन कर दी गई है। सभी हिदायतों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में व सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हिदायतों का भी पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई जाती तब तक विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के परिजनों को कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी प्रकार सभी कार्यालयों में मास्क व केंद्र व राज्य सरकार की अन्य हिदायतों की सख्ती से पालना करवाने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है।

कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय के सभी गेटों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्वर्ण जयंती द्वार यानि गेट नंबर चार व गेट नंबर दो को प्रातः 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक खोला जाएगा। दोपहर को एक बजे से सवा एक बजे तक व दो बजे से सवा दो बजे तक लंच के समय इन गेटों को खोला जाएगा।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
हिसार टूडे	11.01.2022		

एचएयू में बिना कोरोना वैक्सीन सर्टिफीकेट के कर्मचारियों सहित सभी की इंट्री बैन

- विश्वविद्यालय में लगातार जारी हैं वैक्सीनेशन कैंप

हिसार टुडे । हिसार

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कुलपति प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज के दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों व आगंतुकों की बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफीकेट दिखाए इंट्री बैन कर दी गई है। सभी हिदायतों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में व सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हिदायतों का भी पालन किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई जाती तब तक विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के परिजनों को कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी प्रकार सभी कार्यालयों में मास्क व केंद्र व राज्य सरकार की अन्य हिदायतों की सख्ती से पालना करवाने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है।

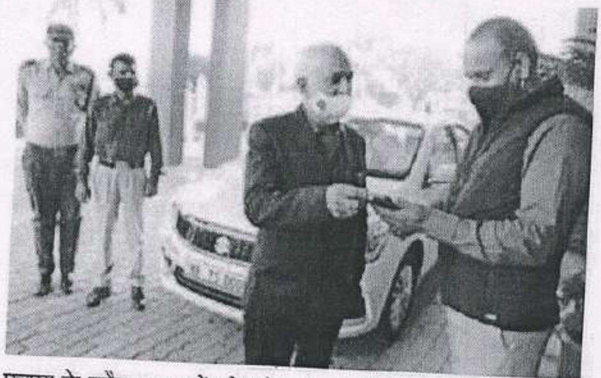

एचएयू के फ्लैचर भवन में प्रवेश से पूर्व अपना वैक्सीन सर्टिफीकेट दिखाते कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता।

अब विश्वविद्यालय के गेट भी निर्धारित समय पर ही खुलेंगे

कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय के सभी गेटों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्वर्ण जयंती द्वार यानि गेट नंबर चार व गेट नंबर दो को प्रातः 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक खोला जाएगा। दोपहर को एक बजे से सवा एक बजे तक व दो बजे से सवा दो बजे तक लंच के समय इन गेटों को खोला जाएगा। इसी प्रकार सांयकाल 5 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक उक्त गेट खोले जाएंगे। बाकी समय में केवल गेट नंबर एक को खोला जाएगा और वैक्सीन के सर्टिफीकेट देखकर व सभी हिदायतों को ध्यान में रखकर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कुलसचिव ने बताया कि मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, खेतीबाड़ी संबंधी कार्य सभी हिदायतों का सख्ती से पालन करते हुए जारी रहेंगी। आगामी आदेशों तक रेगूलर कक्षाएं बंद करके केवल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी कार्यालयों व परिसर में सेनेटाइजेशन अभियान भी जारी रहेगा।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दैनिक सवेरा	11.01.2022		

विश्वविद्यालय में लगातार जारी हैं वैक्सीनेशन कैंप

एचएयू में बिना कोरोना वैक्सीन सर्टीफिकेट के एंट्री बैन

हिसार, 10 जनवरी (सुरेंद्र सोढी) : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफैसर बी.आर. काम्बोज के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों व आगंतुकों की बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफीकेट दिखाए एंट्री बैन कर दी गई है।

विश्वविद्यालय परिसर में व सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हिदायतों का भी पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा. सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई जाती तब तक विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के परिजनों को कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी प्रकार सभी कार्यालयों में मास्क व केंद्र व राज्य सरकार की अन्य हिदायतों की सख्ती से पालना करवाने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है।

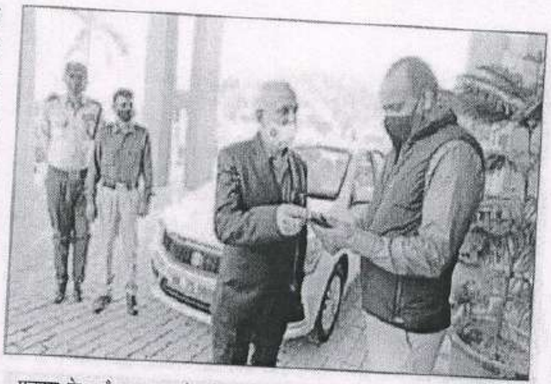

एचएयू के फ्लैचर भवन मे प्रवेश से पूर्व अपना वैक्सीन सर्टीफिकेट दिखाते कुलसचिव डा. सुरेंद्र कुमार मेहता।

निर्धारित समय पर ही खुलेंगे विवि के प्रवेश द्वार

कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय के सभी गेटों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्वर्ण जयंती द्वार यानि गेट नंबर चार व गेट नंबर दो को प्रातः 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक खोला जाएगा। दोपहर को एक बजे से सवा एक बजे तक व दो बजे से सवा दो बजे तक लंच के समय इन गेटों को खोला जाएगा। इसी प्रकार सांयकाल 5 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक उक्त गेट खोले जाएंगे। बाकी समय में केवल गेट नंबर एक को खोला जाएगा और वैक्सीन के सर्टिफीकेट देखकर व सभी हिदायतों को ध्यान में रखकर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
हैलो हिसार	11.01.2022		

एचएयू में बिना कोरोना वैक्सीन सर्टिफीकेट के कर्मचारियों सहित सभी की इंट्री बैन

हिसार : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कुलपति प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज के दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों व आगंतुकों की बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफीकेट दिखाए इंट्री बैन कर दी गई है। सभी हिदायतों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में व सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हिदायतों का भी पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई जाती तब तक विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के परिजनों को कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी प्रकार सभी कार्यालयों में मास्क व केंद्र व राज्य सरकार की अन्य हिदायतों की सख्ती से पालना करवाने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है।

विश्वविद्यालय में लगातार जारी हैं वैक्सीनेशन कैंप

अब विश्वविद्यालय के गेट भी निर्धारित समय पर ही खुलेंगे

कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय के सभी गेटों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्वर्ण जयंती द्वार यानि गेट नंबर चार व गेट नंबर दो को प्रात: 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक खोला जाएगा। दोपहर को एक बजे से सवा एक बजे तक व दो बजे से सवा दो बजे तक लंच के समय इन गेटों को खोला जाएगा। इसी प्रकार सांयकाल 5 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक उक्त गेट खोले जाएंगे। बाकी समय में केवल गेट नंबर एक को खोला जाएगा और वैक्सीन के सर्टिफीकेट देखकर व सभी हिदायतों को ध्यान में रखकर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कुलसचिव ने बताया कि मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, खेतीबाड़ी संबंधी कार्य सभी हिदायतों का सख्ती से पालन करते हुए जारी रहेंगी।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
पंजाब केसरी	11.1.22	5	5-8

एच.ए.यू. में बिना कोरोना वैक्सीन सर्टीफिकेट के एंट्री बैन

» विवि. में निगरानी के लिए कमेटी का गठन

» आगामी आदेशों तक रेगुलर कक्षाएं बंद, ऑनलाइन होगी पढाई

एच.ए.यू. के फ्लैचर भवन में प्रवेश से पूर्व अपना वैक्सीन सर्टीफिकेट दिखाते कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता। (पंकेस)

हिसार, 10 जनवरी (राठी): चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों व आगंतुकों की बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट दिखाए एंट्री बैन कर दी गई है। विश्वविद्यालय परिसर में व सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई जाती तब तक विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के परिजनों को कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी प्रकार सभी कार्यालयों में मास्क व केंद्र व राज्य सरकार की अन्य हिदायतों की सख्ती से पालना करवाने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है।

वहीं कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय के सभी गेटों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्वर्ण जयंती द्वार यानि गेट नंबर चार व गेट नंबर 2 को प्रात: 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक खोला जाएगा। दोपहर को एक बजे से सवा एक बजे तक व दो बजे से सवा 2 बजे तक लंच के समय इन गेटों को खोला जाएगा। इसी प्रकार सांयकाल 5 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक उक्त गेट खोले जाएंगे। बाकी समय में केवल गेट नंबर एक को खोला जाएगा और वैक्सीन के सर्टीफिकेट देखकर व सभी हिदायतों को ध्यान में रखकर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आगामी आदेशों तक रेगुलर कक्षाएं बंद करके केवल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि सभी कार्यालयों व परिसर में सैनिटाइजेशन अभियान भी जारी रहेगा।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दैनिक भास्कर	11.1.22	2	5-8

एचएयू में बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट नो इंट्री

कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर लिया निर्णय

रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों में एंट्री से पहले चेकिंग की जा रही

भास्कर न्यूज | हिसार

एचएयू कैंपस में वीसी प्रोफेसर बीआर काम्बोज के दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों व आगंतुकों की बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाए इंट्री बैन कर दी है। विवि परिसर में व सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हिदायतों का पालन किया जा रहा है। विवि के कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई जाती तब तक विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के परिजनों को कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया है। सभी कार्यालयों में मास्क व केंद्र व राज्य सरकार की अन्य हिदायतों की सख्ती से पालना करवाने के लिए भी एक कमेटी बनाई है।

इसके अलावा रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों को कोरोना की दोनों डोज नहीं लगी है, वह ट्रेन यात्रा भी नहीं कर सकेंगे। सर्टिफिकेट चेक करने के बाद ही यात्रियों को ट्रेन में एंट्री दी जा रही है। उत्तर-पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ ले. शशि किरण ने यात्रियों से अपील की है कि वह जल्द दोनों डोज लगवा लें ताकि कोरोना से बचा जा सके।

एचएयू के फ्लैचर भवन में प्रवेश से पूर्व अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाते कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता।

सख्ती... अब एचएयू के गेट भी निर्धारित समय पर खुलेंगे

कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एचएयू के सभी गेटों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया है। इसके तहत स्वर्ण जयंती द्वार यानि गेट नंबर चार व गेट नंबर दो को सुबह 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक खोला जाएगा। दोपहर को एक बजे से सवा एक बजे तक व दो बजे से सवा दो बजे तक लंच के समय इन गेटों को खोला जाएगा। इसी प्रकार शाम 5 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक उक्त गेट खोले जाएंगे। बाकी समय में केवल गेट नंबर एक को खोला जाएगा और वैक्सीन के सर्टिफिकेट देखकर व सभी हिदायतों को ध्यान में रखकर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कुलसचिव ने बताया कि मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, खेतीबाड़ी संबंधी कार्य सभी हिदायतों का सख्ती से पालन करते हुए जारी रहेंगी। आगामी आदेशों तक रेगूलर कक्षाएं बंद कर केवल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रहेगी।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
अमर उजाला	11.1.21	4	3-5

एचएयू : बिना टीकाकरण प्रमाणपत्र के प्रवेश बंद

संवाद न्यूज एजेंसी

हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) में कुलपति प्रो. बीआर कांबोज के सभी कर्मचारियों व आगंतुकों की बिना कोरोना टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखाए प्रवेश बैन कर दिया है। सोमवार सुबह से इस नियम को पूरी तरह से लागू कर दिया गया।

विश्वविद्यालय परिसर में व सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हिदायतों का भी पालन किया जा रहा है। कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई जाती तब तक विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के परिजनों को कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।

स्वर्ण जयंती द्वार यानि गेट नंबर चार व गेट नंबर दो को सुबह 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक खोला जाएगा। दोपहर को एक बजे से सवा एक बजे तक व दो बजे से सवा दो बजे तक लंच के समय इन गेटों को खोला जाएगा।

टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखाते एचएयू के कुलसचिव सुरेंद्र मेहता। संवाद

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
हरि भूमि	11.1.21	9	7-8

हकृवि में बिना कोरोना प्रमाण-पत्र के प्रवेश बंद

- विश्वविद्यालय में लगातार जारी हैं वैक्सीनेशन शिविर

हरिभूमि न्यूज ▶▶ हिसार

राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों तथा आगंतुकों की बिना कोरोना वैक्सीनेशन प्रमाण-पत्र दिखाए प्रवेश बंद कर दिया है। सभी हिदायतों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में तथा सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा हिदायतों का भी पालन किया जा रहा है।

निगरानी कमेटी का गठन

विवि कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई जाती तब तक विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के परिजनों को कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसकी निगरानी के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इसी प्रकार सभी कार्यालयों में मास्क व केंद्र व राज्य सरकार की अन्य हिदायतों की सख्ती से पालना करवाने के लिए भी कमेटी गठित की गई है।

विवि के गेट निर्धारित समय पर ही खुलेंगे

महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते विवि के सभी गेटों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया है। इसके तहत स्वर्ण जयंती द्वार यानि गेट नंबर चार व गेट नंबर दो को प्रातः 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक खोला जाएगा। दोपहर को एक बजे से सवा एक बजे तक व दो बजे से सवा दो बजे तक लंच के समय इन गेटों को खोला जाएगा। इसी प्रकार सायंकाल 5 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक उक्त गेट खोले जाएंगे। बाकी समय में केवल गेट नंबर एक को खोला जाएगा और सर्टीफीकेट देखकर व सभी हिदायतों को ध्यान में रखकर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दैनिक ट्रिब्यून	11.1.22	3	6-8

हकृवि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाकर हुई कुलसचिव की एंट्री

हिसार, 10 जनवरी (निस)

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर शिक्षण संस्थानों ने भी सख्त नियम अपना लिये हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने तो ऐसी सख्ती कर दी है कि सोमवार को कुलसचिव को भी कार्यालय जाते समय वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के लिए रोक लिया गया। सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही कार्यालय में उनकी एंट्री हो पाई। इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी गेट को आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को छुट्टी के समय खोलने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों ने बताया कि कुलपति प्रो बीआर काम्बोज ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि किसी भी कर्मचारी व अधिकारी और आगंतुक को बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाए एंट्री नहीं होगी। वहीं, विश्वविद्यालय परिसर में व सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हिदायतों का भी पालन किया जा रहा है।

हिसार में सोमवार को अपने कार्यालय जाने के लिए सुरक्षा अधिकारियों को अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाते हकृवि के कुलसचिव डॉ सुरेन्द्र कुमार मेहता। -निस

एचएयू में बिना कोरोना वैक्सीन सर्टीफिकेट के कर्मचारियों सहित सभी की एंट्री बैन

विश्वविद्यालय में लगातार जारी हैं वैक्सीनेशन कैंप

हिसार, 10 जनवरी (विरेंद्र वर्मा): चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज के दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों व आगंतुकों की बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट दिखाए एंट्री बैन कर दी गई है। सभी हिदायतों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में व सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हिदायतों का भी पालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि जब तक वैक्सीन नहीं लगवाई जाती तब तक विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के परिजनों को कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी प्रकार सभी कार्यालयों में मास्क व केंद्र व राज्य सरकार की अन्य हिदायतों की सख्ती से पालना करवाने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है।

अब विश्वविद्यालय के गेट भी निर्धारित समय पर ही खुलेंगे

कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय के सभी गेटों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया गया है।

इसके तहत स्वर्ण जयंती द्वार यानि गेट नंबर चार व गेट नंबर दो को प्रातः 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक खोला जाएगा। दोपहर को एक बजे से सवा एक बजे तक व दो बजे से सवा दो बजे तक लंच के समय इन गेटों को खोला जाएगा। इसी प्रकार सायंकाल 5 बजे से 5 बजकर 30 मिनट तक उक्त गेट खोले जाएंगे।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दैनिक जागरण	11.1.22	3	4

बिना वैक्सीनेशन एचएयू से बाहर जाने की अनुमति नहीं

जागरण संवाददाता, हिसार : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) में सभी कर्मचारियों व आगंतुकों की बिना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाए एंट्री बैन कर दी गई है। इसके अलावा परिसर में व सभी कार्यालयों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कुलसचिव डा. सुरेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई जाती तब तक कोई भी कर्मचारी व परिजन विश्वविद्यालय परिसर से बाहर नहीं जा सकेगा। इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी प्रकार सभी कार्यालयों में मास्क व केंद्र व राज्य सरकार की अन्य हिदायतों की सख्ती से पालना करवाने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय के सभी गेटों के खुलने व बंद होने का समय निर्धारित किया गया है।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
लोक संपर्क कार्यालय

समाचार पत्र का नाम	दिनांक	पृष्ठ संख्या	कॉलम
दैनिक जागरण	11.1.22	2	2-4

सब्जियों की काश्त और नर्सरी उत्पादन से मिल सकता है ज्यादा मुनाफा

खेत खलिहान

जागरण संवाददाता, हिसार : किसान सब्जियों की कास्त और नर्सरी उत्पादन करके अन्य फसलों के मुकाबले अधिक मुनाफा ले सकते है। वर्तमान में कृषि योग्य क्षेत्रफल बहुत ही कम होता जा रहा है, जिससे किसान की आय में भी कमी आ रही है। इसके लिए जरूरी है कि किसान अपने खेत में होने वाले अन्नावश्यक खर्च को कम करें।

साथ ही फसलों के साथ सब्जी की कास्त करने से किसानों की आय भी बढ़ेगी और वह एक समय में दो फसलें उगा सकेंगे। इस प्रकार की खेती के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का सायना नेहवाल कृषि प्रशिक्षण व शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण दे रहा है। इसमें किसान आनलाइन प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। यहां विज्ञानी किसानों को किस प्रकार से खेती करनी है और किन सावधानियों को बरतना है यह भी बताया जाता हैं। प्रशिक्षण में शामिल होने वाले किसानों को प्रमाणपत्र भी दिए जाते हैं।

एचएयू के फार्म पर लगी पौध। ■ जागरण आर्काइव।

आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए लाभकारी प्रशिक्षण

विश्वविद्यालय महिलाओं, युवाओं व किसानों को स्वावलम्बी, समृद्ध और आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की दिशा में प्रयासरत है। फसल विविधिकरण, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह व बेहतर तकनीकों को अपनाकर किसान भी अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। सायना नेहवाल संस्थान में बागवानी, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, पुष्प उत्पादन,. पशुपालन, मुर्गीपालन, खुम्ब उत्पादन, मत्स्य पालन, केंचुआ खाद उत्पादन इत्यादि व्यवसायिक प्रशिक्षण हासिल कर किसान छोटी जोत होते हुए भी अपनी आमदनी मे इजाफा कर सकते हैं।

पिछले वर्ष भी आयोजित किए जा चुके हैं 46 प्रशिक्षण शिविर

सायना नेहवाल संस्थान की ओर से अभी तक 46 प्रशिक्षण आयोजित कर 2075 प्रशिक्षणार्थी को लाभान्वित किया जा चुका है। मार्च माह तक कुल 77 प्रशिक्षण आयोजित कर 3105 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिए जाने की उम्मीद है। भविष्य में भी इसी प्रकार आत्मनिर्भर बनने की दिशा में युवाओं और किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नए-नए प्रशिक्षण भी शुरू किए जाने की तैयारी है, ताकि वे हर क्षेत्र में अपने को स्थापित कर सकें।